आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना सं0 30 / 2019–राज्य कर

शिमला–2, 17 जुलाई, 2019

सं0 ई0एक्स0एन0–एफ(10)–15 / 2019.––हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, परिषद् की सिफारिशों पर हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है) के नियम 14 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 24 के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं, को ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो नीचे यथा उल्लिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति उक्त नियम के नियम 80 के उप–नियम (1) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उप–धारा (1) के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–9** में वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगे।

3. उक्त व्यक्ति उक्त नियम के नियम 80 के उप–नियम (3) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 44 की उप–धारा (2) के अधीन **प्ररूप जीएसटीआर–9ग** में समाधान विवरण प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित नहीं होंगे।

आदेश द्वारा,

संजय कुंडू,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

———————

[*Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-15/2019, dated 17-07-2019 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification No. 30/2019—State Tax

Shimla, the 17*th July*, 2019

No. EXN-F(10)-15/2019.—In exercise of the powers conferred by section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017) (hereinafter referred to as "the said Act"), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, hereby notify the persons registered under section 24 of the said Act read with rule 14 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as "the said rules"), supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below.

2. The said persons shall not be required to furnish an annual return in **FORM GSTR-9** under sub-section (1) of section 44 of the said Act read with sub-rule (1) of rule 80 of the said rules.

3. The said persons shall not be required to furnish reconciliation statement in **FORM GSTR-9C** under sub-section (2) of section 44 of the said Act read with sub-rule (3) of rule 80 of the said rules.

By order,

SANJAY KUNDU,
Principal Secretary (E&T).

आबकारी एवं कराधान विभाग

आदेश सं0 6 / 2019–राज्य कर

शिमला–2, 17 जुलाई, 2019

सं0 ई0एक्स0एन0–एफ(10)–15 / 2019.––हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 44 की उप–धारा (1) में यह उपबन्धित है कि इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् आने वाले इक्कतीस दिसम्बर को या उससे पूर्व एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा;

और उक्त अधिनियम की धारा 44 की उप–धारा (1) में यथा निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के प्रयोजन में करदाताओं को कुछ तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त उप–धारा (1) में यथानिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की कालावधि के लिए उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत नहीं की जा सकी है और जिसके कारण उक्त धारा के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाईयां उत्पन्न हुई हैं।

अतः अब, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद् की सिफारिशों पर, कठिनाईयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस आदेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (छठा कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2019 है।

2. हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 44 के स्पष्टीकरण में, "30 जून, 2019" अंकों और शब्द के स्थान पर "31 अगस्त, 2019" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा,

संजय कुंडू,
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।